"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 जुलाई 2012—श्रावण 3, शक 1934

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

आदेश

क्रमांक/खाऔप्रशा/2012/एफ 25-7/2012/नौ/55.—यह कि, भारत के खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 34 वर्ष 2006) की धारा 92 सहपठित धारा 26 में वर्णित अधिकारों के तहत् बनाये गए, खाद्य संरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 से तम्बाकू और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, का प्रतिषेध करती है.

और यह कि, आजकल गुटखा एवं पान मसाला में तम्बाकू एवं निकोटीन का घटक के रूप में व्यापक उपयोग किया जा रहा है;

और यह कि, गुटखा एवं पान मसाला को छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे खाद्य पदार्थ के रूप में जिसमें तम्बाकू और निकोटीन घटक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं, को प्रतिषेध करने की आवश्यक दिखती है;

और यह कि, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 में राज्य के आयुक्त खाद्य संरक्षक को यह अधिकार दिए गए हैं कि, लोक स्वास्थ्य के हित में वे, किसी भी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय का प्रतिषेध कर सकते हैं.

अतएव खाद्य संरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 के तहत् गुटखा एवं पान मसाला जिसमें तम्बाकू एवं निकोटीन युक्त घटक विद्यमान हो ऐसे खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में जाने जाते हों, के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय को छत्तीसगढ़ राज्य में लोक हित को देखते हुए एक वर्ष के लिए एतद्द्वारा प्रतिषेध करती है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक/खाऔप्रशा/2012/एफ 25-7/2012/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

Raipur, the 25th July 2012

ORDER

No./FDA/Chh./2012/F 25-7/2012/Nine/55.—WHEREAS, regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 made by the Food Safety and Standards Authority of India in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Central Act 34 of 2006) read with section 26 thereof, prohibits articles of food in which tobacco and nicotine are used as ingredients, as they are injurious to health;

AND WHEREAS, gutkha and panmasala are articles of food in which tobacco and nicotine are widely used as ingredients now-a days;

AND WHEREAS, it is expedient to prohibit gutkha and panmasala in the State of Chhattisgarh, being food products in which tobacco and nicotine are widely used as ingredients;

AND WHEREAS the Commissioner of Food Safety of the State is empowered under Section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 to prohibit in the interest of public health, the manufacture, storage, distribution or sale of any article of food in the whole of State.

NOW, THEREFORE, in pursuance of regulation 2.3.4 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011, the manufacture, the storage, the sale or the distribution of gutkha and panmasala containing tobacco or nicotine as ingredients, by whatsoever name it is available in the market, is hereby prohibited for one year from the date of issue of this order in the State of Chhattisgarh in the interest of Public Health.

K. SUBRAMANIAM,
Commissioner.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.